न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 43 / 2013

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. टीपूदेवी पत्नी बगदाराम जाति प्रजापत निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. तारा पुत्र उका 2. वोहता पुत्र लच्छा जातियान प्रजापत निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1 श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. प्रतिवादीगण 1 से 2 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 3 के पैरोकार उप.।

निर्णय

दिनांक— 26.09.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा— चाडो की ढाणी पटवार मण्डल चाडो कीढाणी के खसरा संख्या 642 रकबा 1.0032 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 09.01.2024 को [illegible] तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मि[illegible] एण्ड [illegible]उण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिणधरी द्वारा [illegible] में न्यायालय द्वारा पारि[illegible]क प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव [illegible] कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा— चाडो की ढाणी पटवार मण्डल चाडो कीढाणी के खसरा संख्या 642 रकबा 1.0032 हैक्टेयर के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर

क्र स	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	वर्णन
1	टीपूदेवी पत्नि श्री बगदाराम जाति कुम्हार सा. देह	चाडो की ढाणी	642	0.3344	बा.दो	0.04	हरा
2	तारा पुत्र श्री उका हि. 1/2 वोहता पुत्र लच्छा हि. 1/2 जाति कुम्हार सा. देह रहन वोहता का पूर्ण हिस्सा जेटीजीबी शाखा सिणधरी	चाडो की ढाणी	642	0.6688	बा.दो	0.09	पीला

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण नक्कर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीनी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
टीपूदेवी पत्नी बगदाराम जाति प्रजापत निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. तारा पुत्र उक्त 2. वोहता पुत्र लच्छा जातियान प्रजापत निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 43/2023

निर्णय दिनांक :—26.09.2024

वादी की ओर से **श्री जोगराज पोटलिया** अधिवक्ता, राज. पैरोकर की उपस्थिति तथा शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.09.2024 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:— वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 26.09.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुंताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 26.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ......रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	